

सं 19011/19/2015/के.हि.प्रशि.सं./ग.भा.प्रशि./192-1192
भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 19.10.2015

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान / उपक्रम / उद्यम / स्वायत्ताशासी तथा सांविधिक निकाय / अभिकरण / राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी

विषय:- वर्ष 2016 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, में चलाए जाने वाले हिंदी प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के गहन (अल्पकालिक) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में।

महोदय / महोदया,

राजभाषा विभाग के दिनांक 10.09.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18015/6/86-रा.भा.ई में दिए गए निर्देशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों द्वारा मंत्रालयों / विभागों उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / लोक उद्यमों / निगमों / स्वायत्त संस्थानों, संगठनों अभिकरणों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में नए भर्ती हुए हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के पूर्णकालिक गहन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मूलतः ये पाठ्यक्रम नए भर्ती हुए अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हैं, किंतु हिंदी प्रशिक्षण के लिए पहले से सेवारत अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करने पर, उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा, ताकि संबंधित कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि तक प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें।

राजभाषा विभाग के दिनांक 22.4.2015 के का० ज्ञापन सं० 12012/3/2015-रा०भा० (नीति) में संसदीय राजभाषा समिति के 7वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 16.7 (क) पर पारित राष्ट्रपति आदेश के अनुपालन में, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक / स्वायत्त निकायों / उद्यमों / अभिकरणों / निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास पर आधारित नया पाठ्यक्रम पारंगत लागू करने का निर्णय लिया गया है।

सभी मंत्रालयों / विभागों आदि से अनुरोध है कि (अनुलग्नक-1) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें। हिंदी प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत के लिए प्रशिक्षार्थी की पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार करें।

2....

1. प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा की दिनांक	पात्रता
1.	प्रवीण	20 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोड़ो, डोगरी, नेपाली, बंगला, असमिया और उडिया भाषा भाषी अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें मिडिल / माध्यमिक स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
2.	प्राज्ञ	15 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह उन सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिनकी मातृ-भाषा उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी तथा पश्तो है और जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या दसवीं कक्षा से कम है, प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।
3.	पारंगत	20 कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / उद्यमों / अभिकरणों / निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे।

विशेष:- वर्ग " घ " से वर्ग " ग " में आए कार्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में।

राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन संख्या 14034/30/2009-रा0भा0(प्र0) दिनांक 06 जनवरी, 2010 के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ग " घ " के कार्मिकों को वर्ग " ग " में शामिल कर लिया गया है और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार, वर्ग " ग " के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है, अतः वर्ग " घ " से वर्ग " ग " में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग " ग " श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाए। इसी अनुक्रम में पात्रतानुसार अपने कार्यालय के वर्ग " घ " से " ग " में आए कार्मिकों को भी नामित करने का कष्ट करें।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक-11 में दिए गए प्रपत्र में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम एक महीना पूर्व अवश्य भिजवा दी जाए।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।

- प्रशिक्षण का समय सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक निर्धारित है ।
- प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यालयों से नामित अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए, नामांकन की पुष्टि का पत्र संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक द्वारा भेजा जाता है ।
- नामांकन के संबंध में प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक से पुष्टि पत्र प्राप्त होने पर ही, अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त किया जाए ।

प्रशिक्षण केंद्र का पता अनुलग्नक -III में दिया गया है ।

परीक्षा

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ प्रत्येक प्रशिक्षण के अंतिम कार्य दिवस पर आयोजित की जाती हैं ।
- परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रशिक्षार्थी से, पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के समय भरवाया जाता है ।
- नई दिल्ली केंद्र पर प्रवीण और प्राज्ञ की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी पारंगत की परीक्षा परंपरागत आधार पर ली जाएगी ।

परीक्षा शुल्क

- ये सभी पाठ्यक्रम सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए निःशुल्क हैं, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयों को, हिंदी प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा के लिए ₹०100/-प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है । परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना के नाम, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है ।

नोट:- पारंगत पाठ्यक्रम की परीक्षा के लिए फिलहाल कोई परीक्षा शुल्क नहीं है ।

पाठ्य पुस्तकें

- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें प्रशिक्षण केंद्र पर, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ।

वित्तीय प्रोत्साहन

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को, 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का, वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है ।
- हिंदी प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों को, नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । इस राशि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है। पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर फिलहाल कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है ।

क्र.सं.		प्रवीण	प्राज्ञ
1.	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹० 1800/-	₹० 2400/-
2.	60% या इससे अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	₹० 1200/-	₹० 1600/-
3.	55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	₹० 600/-	₹० 800/-

विशेष

- सभी मंत्रालयों / विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने सभी संबद्ध कार्यालयों, इकाइयों / शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने की कृपा करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि अधिकारियों / कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो और निर्धारित समय में प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- यह भी सुनिश्चित करने की कृपा करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिन अधिकारियों / कर्मचारियों के नामों की पुष्टि प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक द्वारा भेजी जाती है, उन्हें अवश्य कार्यमुक्त किया जाए। यदि किसी कारणवश उन्हें भेजना संभव न हो, तो उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी / कर्मचारी को भेजा जा सकता है। नामित अधिकारी / कर्मचारी को अगले सत्र में भिजवाने की व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें।
- यात्रा भत्ता आदि जो भी देय होगा, उसे प्रशिक्षार्थी के कार्यालय द्वारा ही वहन किया जाएगा।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को कार्यमुक्ति आदेश दिया जाता है।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए, संबंधित सहायक निदेशक से फोन नं. 011-23063321 एक्सटेंशन 2207 पर संपर्क करें।
- केंद्र के अधिकारी का संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र हॉस्टल का पता तथा बस रूट अनुलग्नक - III पर देखें।

भवदीय,



(डॉ० जयप्रकाश कर्मम)

निदेशक

पृष्ठांकन सं. 19011/19/2015 -कै.हि.प्र.सं./ग.भा.प्रशि./ 199-1192

दिनांक: 19/10/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा-I) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा-II) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
4. संयुक्त निदेशक (मु0), हिंदी शिक्षण योजना, 7वाँ तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003
5. सभी उप निदेशक हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली-

6. उप निदेशक (कार्यान्वयन), व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6 आर.के. पुरम सेक्टर-1 नई दिल्ली-110066
8. सहायक निदेशक अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली-110003
9. सहायक निदेशक (टं/आशुं) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 7वां तल पर्यावरण भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल / वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दें।



(डॉ० जयप्रकाश कर्म)
निदेशक

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2016 में आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सत्रावधि :-

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
प्रथम	प्रवीण	20	04.01.2016 से 1.02.2016 तक
	प्राज्ञ	15	2.02.2016 से 22.02.2016 तक
	पारंगत	20	23.02.2016 से 21.03.2016 तक

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
द्वितीय	प्रवीण	20	02.05.2016 से 27.05.2016 तक
	प्राज्ञ	15	30.05.2016 से 17.06.2016 तक
	पारंगत	20	20.06.2016 से 18.07.2016 तक

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
तृतीय	प्रवीण	20	01.9.2016 से 29.09.2016 तक
	प्राज्ञ	15	30.09.2016 से 24.10.2016 तक
	पारंगत	20	25.10.2016 से 23.11.2016 तक
	प्राज्ञ	15	24.11.2016 से 15.12.2016 तक

संपर्क सूत्र

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 7वाँ तल, पर्यावरण भवन, बी ब्लॉक सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003. दूरभाष सं. 011-24361852 फैक्स सं. 011-24361852 ई-मेल-dirchti- dol@nic.in	2. सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, कक्षा सं० 449-ए उद्योग भवन, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली-110011. दूरभाष सं. 011-23063321 एक्सटेंशन 2207 फैक्स सं. 011-23062626
--	---

प्रशिक्षण केंद्र तथा हॉस्टल का पता तथा उनके बस रूट नं.

प्रशिक्षण केंद्र का पता	हॉस्टल का पता
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, कक्षा सं. 449-ए, चौथा तल, उद्योग भवन, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली-110011. दूरभाष सं. 011-23063321 एक्सटेंशन 2207 फैक्स सं. 011-23062626 नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और बस अड्डे से मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो स्टेशन का नाम " उद्योग भवन " है।	वार्डन (हॉस्टल), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, फ्लैट नं. 2, गवर्नमेंट हॉस्टल, तीसरा तल, देवनगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 दूरभाष सं. 011-28716509 नई दिल्ली से बस रूट नं० 181, 166 पु.दि.रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 926 बस स्टॉप का नाम खालसा कॉलेज है हॉस्टल से प्रशिक्षण केंद्र उद्योग भवन तक आने के लिए बस रूट सं. 610,166, 181 है।

नामांकन का प्रपत्र

क्र.सं.	प्रशिक्षार्थी का नाम और पदनाम और बल सं०	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित किया गया है	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हताएं	हिंदी का ज्ञान	कर्मचारी के कार्यालय का नाम पता तथा 1. फोन नं. 2. फैक्स नं० 3. ई मेल आई डी

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

कार्यालय का नाम और पता.....

.....

टेलीफोन नं फैक्स नं.....

ई मेल आई डी